UPRB010072042022

न्यायालय Spl. Judge(E.C. Act), Rae Bareli

पीठासीन अधिकारी– (PRABHAT KUMAR YADAV), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP01634**

सत्र परीक्षण संख्या–1490/2022

1. **राम बरन यादव** पुत्र राम नेवाज, आयु लगभग 40 वर्ष।
2. **राम सागर** पुत्र राम नेवाज, आयु लगभग 37 वर्ष।

निवासीगण ग्राम गुलाबगंज, मजरे–राजापुर, थाना–मोहनगंज, जिला–अमेठी।

–––––––– आवेदकगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, रायबरेली।

–––––––– अभियोगी।

अपराध संख्या–256/2022

धारा147, 148, 323, 324, 504, 506, 302, 34, 325 भा०दं०सं०

थाना–मोहनगंज, जिला–अमेठी।

निस्तारण उन्मोचन प्रार्थनापत्र 10 ख अन्तर्गत धारा 227 दं.प्र.सं.

दिनांक 21–01–2023

प्रार्थनापत्र 10 ख मय शपथपत्र 11 ख/1 ता 6 अन्तर्गत धारा–227 दं०प्र०सं० व आपत्ति पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

उन्मोचन प्रार्थनापत्र 10 ख मय शपथपत्र 11 ख/1 ता 6 आवदेक/अभियुक्तगण राम बरन यादव व राम सागर की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण पूर्णतया निर्दोष हैं। उनके द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है। वादी मुकदमा द्वारा रंजिशन उन्हें प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित किया गया। थाना मोहनगंज की पुलिस द्वारा जबरन उन्हें दिनांक 19–08–2022 को गिरफ्तार किया गया, दिनांक 25–08–2022 तक थाने पर बैठाये रखा गया तथा शाम को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया। सत्यता यह है कि वादी मुकदमा, मृतक व उसके परिवार तथा अन्य बाहरी लोगों के साथ मिलकर प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण व उसके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, प्रार्थी/ अभियुक्त संख्या 1 को छः चोटें व प्रार्थी/अभियुक्त संख्या 2 को चार चोटें सिर पर आयीं। घटना उसी दिन दो सौ मीटर की दूरी पर की गयी है। उसके बाद वादी मुकदमा, मृतक हौंसिला प्रसाद व पांच–

छः अन्य लोगों द्वारा घटनास्थल पर जाकर उसके बड़े भाई राजाराम उर्फ राजा व भतीजे सूरज पर हमला बोल दिया, पीछे हाथ में फरसा लिये जयराम व अन्य जो अपने हाथ में लाठी डण्डा लिये थे, जयराम के ललकारने पर हौंसिला प्रसाद मृतक द्वारा लाठी से राजाराम पर वार किया गया, हौसिला प्रसाद पास में लगे हैण्ड पम्प पर लड़खड़ाकर गिर गया, जिससे हौंसिला प्रसाद के सिर पर चोट आ गयी, पीछे खड़े जयराम ने हौंसिला प्रसाद की लाठी उठाकर जयराम व मंगल ने हौंसिला को पीटना शुरू कर दिया जिससे हौसिला प्रसाद की मृत्यु हो गयी। जयराम ने पेट्रोल डालकर मोटर साइकिल में आग लगा दी। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में शपथी के पिता ने जरिये फैक्स व रजिस्ट्री उच्चाधिकारियों को सूचना दिया, कार्यवाही न होने पर धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रार्थनापत्र दिया, जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.2022 को वादी व अन्य के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश पारित किया गया, जिसका अपराध संख्या 389/2022 है। कथित घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। जो चोटें राम सुफल, वादी मुकदमा व उनके भाइयों को आयी हैं वह पुलिस द्वारा मारने पर आयी हैं। वादी के पिता हौंसिला प्रसाद, राम सुफल व अन्य द्वारा पहले भी प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के भाई, भतीजे व पिता पर मारपीट,गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी,जिसकी रिपोर्ट थाना–मोहनगंज में दर्ज की गयी, जिसका मुकदमा अपराध संख्या 197/2021 है। जिस जमीन का विवाद है, उसका वाद न्यायालय सिविल जज (जू. डिवीजन), सप्तम, रायबरेली के समक्ष विचाराधीन है। हौंसिला प्रसाद के पोस्ट मार्टम में मात्र छः चोटों का होना पाया गया है। अभियुक्त राम सागर के गुर्दे का आपरेशन हुआ है तथा उसका इलाज नई दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल से चल रहा है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण /अभियुक्तगण की नामजदगी गलत व संदेहास्पद है इसलिये उन्हें उन्मोचित किया जाना आवश्यक है। अभियुक्तगण के पास से कोई बरामदगी नहीं है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को आरोपित आरोप से उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी है।

उन्मोचन प्रार्थनापत्र 10ख के विरूद्ध ए.डी.जी.सी.(क्रि.) द्वारा आपत्ति मौखिक आपत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट और पुलिस अन्वेषण रिपोर्ट, मृतक हौंसिला प्रसाद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग उपरोक्त पूर्णतया साबित है और अभियुक्तगणों का कृत्य पूर्णतया अमानवीय व बर्बर है। घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल स्थानीय पुलिस द्वारा अन्वेषण में बरामद किया गया है। उपरोक्त कथनों के आधार पर अभियुक्तगणों पर आरोप अपराध पूर्णतया साबित है और उनके विरूद्ध प्रदर्शित साक्ष्य अपराध को साबित करते है तथा अभियुक्तगणों को मौके पर साक्षियों द्वारा घटनास्थल के पास में देखा जाना परिस्थितिजन्य साक्ष्य के विधिक रूप से सुग्राहय है। अतः अभियुक्तगण राम बरन यादव व राम सागर द्वारा दिया गया प्रार्थनापत्र अं०धारा–227 दं०प्र०सं० निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्तगण के उन्मोचन प्रार्थनापत्र के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण /अभियुक्तगण राम बरन यादव व राम सागर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त नहीं है। साक्षीगण जो नाते रिश्तेदार

हैं, के मात्र बयानों के आधार पर अभियुक्तगण बनाया गया है। कथित घटना का कोई चश्मदीद साक्षी भी नहीं है। घटना का कोई प्रमाणित मोटिव दर्शित नहीं किया गया है। पोस्टमार्टम घटना के समय समर्थित नहीं करती है। प्रथम दृष्टया आवेदकगण/अभियुक्तगण राम बरन यादव व रामसागर के विरूद्व कोई ठोस साक्ष्य नहीं हैं। घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल भी बरामद नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्व आरोप विरचित किये जाने का कोई आधार न होने के कारण उन्मोचित किये जाने का कथन किया है।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्द बरामदगी, केस डायरी में विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्व आरोप विरचित किये जाने का पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। अतः उन्मोचन प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का कथन किया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि इस मामले में वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत की गयी तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्व अं०धारा – 147,148,323,324,504,506,302,34, भा०दं०सं० मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचक द्वारा विवेचना में प्रकाश में आये अभियुक्तगण राम बरन व राम सागर के नाम की बढोत्तरी करते हुये धारा 325 भा.दं.सं. की बढ़ोत्तरी की गयी तथा साक्षीगण व मजरूबान के बयानात, निरीक्षण घटनास्थल, इंजरी रिपोर्ट, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, बरामदगी आलाकत्ल व अन्य समस्त साक्ष्य एकत्रित करते हुये अभियुक्तगण सुरेश कुमार उर्फ गुद्दर,राकेश यादव, सूरज यादव, सुनील यादव, सिद्धनाथ यादव उर्फ सिद्धू, राम बरन यादव व राम सागर निवासीगण गुलाबगंज, मजरे राजापुर थाना–मोहनगंज के विरूद्व अंतर्गत धारा–147,148,323,324,504,506,302,34,325 भा०दं०सं० तथा अभियुक्त राजाराम उर्फ राजा के विरूद्व अन्तर्गत धारा 147,148,323,324,504,506,302,34,325 भा०दं०सं० तथा धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया गया। जिस पर संबंधित विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लेकर पत्रावली विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द की गयी। यह स्पष्ट है कि संबंधित विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विवेचक द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन करने के पश्चात प्रथम दृष्टया मामला बनता पाये जाने पर प्रसंज्ञान लिया गया। प्रसंज्ञान लेने के उपरान्त पत्रावली सत्र न्यायालय को सुपुर्द होने पर अभियुक्तगण राम बरन यादव व राम सागर द्वारा उन्मोचन प्रार्थनापत्र 10ख प्रस्तुत किया है। न्याय का सुनहरा सिद्वान्त है कि आरोप विरचन के समय न्यायालय केवल प्रथम दृष्टया मामला बना हुआ देखना होता है। इस स्तर पर न्यायालय को मामले की गहराई में जाने या साक्ष्य का गुणदोष पर विश्लेषण करने की आवश्यकता नही होती है बल्कि अभियुक्तगण के विरूद्व गंभीर संदेह की स्थिति विद्यमान होने पर भी आरोप विरचित किया जा सकता है।

- ***माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पलविन्दर सिंह बनाम बलविन्दर सिंह 2009(1)जे०आई०सी० 3 सु०को०*** के मामले में मत व्यक्त करते हुए यह कहा है कि आरोप विरचन के समय न्यायालय के क्षेत्राधिकारित बहुत ही सीमित है, इस स्तर पर साक्ष्य का मूल्याकंन आवश्यक नहीं है। मात्र मजबूत सन्देह के आधार पर ही आरोप विरचित किया जाना न्यायसंगत है।
- ***माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सांधी ब्रदर्स बनाम संजय चौधरी 2008(3)सी०सी०एस०सी०सु०को०*** के मामले में यह कहा है कि आरोप विरचन के समय आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर प्रथम दृष्टया मामले का परीक्षण सिद्वान्त लागू होगा यहां तक कि अपराध कारित करने में अभियुक्त की संलिप्तता की दृढ़ आशंका भी आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त है।
- ***माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के द्वारा उड़ीसा राज्य बनाम देवेन्द्रनाथ 2005(1)जे०आई०सी० 289*** के मामले में अभिमत व्यक्त किया गया है कि आरोप विरचन के समय अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत सामग्री विचार में नहीं लायी जा सकती है।

प्रस्तुत प्रकरण में यह स्पष्ट है कि विवेचक द्वारा इस मामले में जो भी साक्ष्य संकलित किया गया है, उससे अभियुक्तगण के विरूद्व प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस स्तर पर न्यायालय को साक्ष्य का गुणदोष के आधार पर विश्लेषण नहीं करना है। इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से जो तर्क उठाये गये हैं, उनका निरस्तारण पत्रावली पर सम्पूर्ण साक्ष्य आने के पश्चात मामले के अंतिम निस्तारण के समय किया जा सकेगा। इस स्तर पर आरोप विरचित करने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। अतः बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण **राम बरन यादव व राम सागर** का प्रार्थनापत्र **10ख प्रार्थनापत्र** वास्ते उन्मोचन निरस्त किया जाता। आपत्ति तदनुसार निस्तारित की जाती है।

पत्रावली वास्ते आरोप विरचन दिनांक 31–01–2023 को पेश हो। अभियुक्तगण नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय उपस्थित हो।

दिनांक 21–01–2023

(प्रभात कुमार यादव)
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)/
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

ज्ञानेन्द्र कुमार वर्मा,
आशुलिपिक

Digitally signed by Prabhat Kumar Yadav
Date: 2023.01.21 16:24:01 IST
Reason: Order
Location: District and Sessions Court Rae bareli